

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक : 03/प्रो.-05-03/2014.....2501...../ राँची, दिनांक:.....23.7.15...../

—: आदेश :—

श्री हृदयानन्द ठाकुर, तत्कालीन कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, गुमला को चारित्री वर्ष 1998-99 में निन्दन का दण्ड संसूचन के फलस्वरूप विभागीय आदेश सं.-6674 दिनांक 23.11.2012 द्वारा प्रदत्त तृतीय MACP लाभ का देय तिथि 06.02.2009 को संशोधित करते हुए दिनांक 29.09.2011 किया जाता है।

2. पूर्व में स्वीकृत लाभ के तहत अगर कोई वित्तीय लाभ इन्हे प्रदान की गयी हो तो उपर्युक्त संशोधन के आलोक में वित्तीय लाभ की वसूली एक मुस्त कर ली जाएगी।

3. उक्त संशोधन के प्रस्ताव में विभागीय स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा तथा प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह./—

(इग्नेस कुजूर)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./—

(इग्नेस कुजूर)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- संबंधित कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./—

(इग्नेस कुजूर)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :-

2501

राँची, दिनांक :-

23.7.15

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/अवर सचिव(मुख्यालय)/ उप सचिव(मुख्यालय)/ सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता/ मत्स्य विभाग, झारखण्ड, राँची/ ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/ नगर विकास विभाग, झारखण्ड राँची/ संबंधित सभी कनीय अभियंता/ प्रशाखा-02, 03 एवं 08/ वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ बायोडाटा कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(इग्नेस कुजूर)

सरकार के अवर सचिव